

FORM NO III
 फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम अराई (अजमेर)

गोरधन पुत्र श्री रामलाल जाति खंटीक आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम-ढसूक, तहसील अराई जिला अजमेर ।

— प्रार्थीगण

बनाम

चन्ता पत्नी स्व. श्री श्योजी, जाति- जाट निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई व अन्य ।

—अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, राज.का.अधि. 1955

दर्ज क्रमांक 16/2025

ऑन लाईन नंबर 2025/

वकील वादी श्री इन्द्रेश के रामचन्दानी

वकील प्रतिवादीगण

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रेश के रामचन्दानी ने अन्तर्गत धारा 212 राज.का अधि. 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज/रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 30/1/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">A.V. उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)</p>	
30/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित। P.O. सहाय्य चुनाव कार्य/सज्जार्थ/घरे/अधकारण पर पत्रावली पत्र अंशानुसार दिनांक 20/1/25 को पेश हो।</p>	
20/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.।</p> <p>दिनांक 20/1/25 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अराई</p>	

पत्रावली पेश हुई। तकीर पदाकारण उप.।

अहम हू

पत्रावली दिनांक १३/११/२०२० को पेश हो

उपस्थापक अधिकारी

अराई

8/11/2020

पत्रावली पेश हुई। तकीर पदाकारण उप.।
मूल कांड का निवारण हो जाने के कारण
अप्रतिष्ठा पर कागज चलाने का कोई विधिक
व्यवस्था नहीं है। अतः अप्रतिष्ठा पर शकिय
निया जाता है। पत्रावली केवल शुभ्य होकर
नकार के अर्थ पर